तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 09/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/17) बअनवान अणदाराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम श्रीमती इन्द्रा इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

अणदाराम के कायम मुकाम कोयली व अन्य

बनाम

श्रीमती इन्द्रा इत्यादि

उपस्थिति

1. श्री श्रवणसिंह, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री सुखदेव पटेल, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
4. श्री दीपसिंह भाटी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या तीन
5. श्री जयकुमार जांगिड़, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 4,6 से 12

आदेश

दिनांक 01.04.2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 06/2023 अनवान श्रीमती इन्द्रा बनाम चन्दाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 29 मार्च 2023 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 08 जनवरी 2025 को प्रस्तुत की गई।

अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया। अपीलांट्स द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट्स ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी बाबत अपील पेश करने की अनुमति पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स की सहखातेदारी की भूमि है, जिसमें अपीलांट्स के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 09/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/17) बअनवान अणदाराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम श्रीमती इन्द्रा इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पिताजी स्व. अणदाराम रेकर्डेड सहखातेदार दर्ज है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपीलांट्स को मामले में पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर एक तरफा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। विवादग्रस्त भूमि अपीलार्थीगण की पुश्तैनी भूमि है, जिस पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त है। अपीलार्थीगण अपीलाधीन आदेश से पीड़ित एवं व्यथित पक्षकार है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से अपीलांट को आलौच्य आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। हाल ही में अपीलांट्स के पिता स्व. अणदाराम जी की फौतेदगी पर अपीलांट्स द्वारा तहसीलदार कुड़ी भगतासनी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर फौतेदगी नामांतरकरण स्वीकृत किये जाने का निवेदन किये जाने पर तहसीलदार कुड़ी द्वारा आदेश दिनांक 23.09.2024 के जरिये फौतेदगी नामांतरकरण भरे जाने का आदेश दिया गया, किंतु वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी में स्थगन का नोट लगा हुआ होने से फौतेदगी नामांतरकरण भरा नहीं जा सका। तब अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई। अंत में वकील अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर म्याद शुमार किये जाने का निवेदन किया।

गुणावगुण पर अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. में रेकर्डेड खातेदार स्व. अणदाराम/उनके वारिसान् को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया है। अपीलांट्स वादग्रस्त आराजी पर काबिज है तथा निरंतर काश्त कर रहे है। वादग्रस्त आराजी का विधिवत्त बंटवाड़ा हो चुका है तथा मौके पर पक्षकारान् का हक-हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है। विचारण न्यायालय के अपीलाधीन आदेश के प्रभाव से अपीलांट्स का विरासतन नामांतरकरण रूक गया है। यह उल्लेखनीय है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 09/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/17) बअनवान अणदाराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम श्रीमती इन्द्रा इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

वादीनी/रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपने पिता गुलाबाराम के वादग्रस्त आराजी में निहित 1/5 हिस्से के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा संपूर्ण आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 29 मार्च 2023 को निरस्त किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट संख्या दो की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। विचारण न्यायालय द्वारा खातेदारी घोषणा के वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय में अपीलांट्स की ओर से पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष चाराजोही कर अपना पक्ष रखे बिना सीधे ही हस्तगत अपील प्रस्तुत की है जो अंतरिम आदेश के विरुद्ध होने से पोषणीय नहीं है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक अपीलांट्स विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं है। उनके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली विचारण न्यायालय में उक्त आवेदन पर बहस हेतु नियत है। अपीलांट्स ने विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर चाराजोही किये बिना तथा अपना पक्ष रखे बिना सीधे ही हस्तगत अपील प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 09/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/17) बअनवान अणदाराम के कायम मुकाम व अन्य बनाम श्रीमती इन्द्रा इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रथमदृष्टया अपीलांट्स के पास विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्राप्त है। यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना शेष है। लिहाजा मामला अंतिम निस्तारण हेतु दिशा निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाता है तथा अपील अपीलांट अनुमति बाधित होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट की ओर से पक्षकार बनने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर उस पर विधिनुसार सुनवाई करते हुए उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का अंतिम निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर